OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 5 Issue 3 [May- Jun] Year 2026*

Research Article

राजस्थान में महिला एवं बाल कल्याण की संस्थागत संरचना एवं कार्यप्रणाली: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

गुन्जन गौतम [1*], डॉ०. शैलेन्द्र मौर्य [2]

[1] शोधार्थी, डॉ०. के. एन. मोदी. विश्वविद्यालय, निवाई, राजस्थान, भारत

[2] सह आचार्य, (राजनीति विज्ञान) सामाजिक अध्ययन संकाय, डॉ०. के. एन. मोदी. विश्वविद्यालय, निवाई, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * गुन्जन गौतम

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20675403

सारांश

राज्य में निदेशालय स्तर के अंतर्गत वर्तमान में महिला विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाएं, जो कि महिलाओं के हेतु राज्य/ज़िला/ब्लॉक स्तर पर संचालित हैं, का क्रियान्वयन एवं प्रबंधन किया जाता है। महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं नीतियों में समन्वय कर महिलाओं को वास्तविक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण, रोज़गार तथा प्रशिक्षण एवं उनका समाजिक महिला अधिकारिता के प्रमुख क्षेत्र हैं।

स्वतंत्रता के पांच दशकों के बाद भी प्रदेश की महिलाओं की दशा एवं स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आया है। विषम एवं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी महिलाएं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, लेकिन महिलाओं की यह भूमिका अत्यन्त सीमित है। अतः राजस्थान में महिलाओं की पिछडी हुई स्थिति में सुधार करने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने व महिलाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय पूंजी का राष्ट्र के विकास कार्यो में विनियोजित करने हेतु ऐसे महिला विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने की आवश्यकता प्रतीत की गई जिनके द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को वास्तविक लाभ पहुंचाया जा सके। महिलाओं के शैक्षिक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न स्तरों पर विविध प्रयास किए जा रहे है, ताकि वे स्वयं के विकास के साथ-साथ समाज के विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 05-05-2026
- **Accepted:** 08-06-2026
- **Published:** 13-06-2026
- **IJCRM:**5(3); 2026: 806-809
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

गुन्जन गौतम, डॉ०. शैलेन्द्र मौर्य. राजस्थान में महिला एवं बाल कल्याण की संस्थागत संरचना एवं कार्यप्रणाली: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):806-809.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: राज्य प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, महिला एवं बाल विकास, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रगति विवरण, सरकारी योजनाएँ, सामाजिक विकास, राजस्थान प्रशासन, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण नीति।

© 2026 गुन्जन गौतम, डॉ०. शैलेन्द्र मौर्य. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रस्तावना

महिला एवं बाल विकास के संदर्भ में नीति निर्धारण के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के स्तर पर विविध विभागों एवं बोर्डो का गठन किया गया। महिलाओं के कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों के आयोजन और प्रशासन के लिए त्रिस्तरीय संरचना मिलती है।

1. केन्द्रीय अभिकरण
2. राज्य अभिकरण
3. स्थानीय अभिकरण

परन्तु इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी भारत सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य अभिकरणों की है। केन्द्र में आयोजन और कार्यान्वयन के मुख्य अभिकरण है। योजना आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड मुख्य अभिकरण है।

महिला एवं बाल कल्याण के संदर्भ में प्रशासन तंत्र

वर्तमान में कार्यरत महिला एवं बाल विकास विभाग के गठन से पूर्व महिलाओं तथा बालकों के विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों के नीति नियोजन और उनका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता था। अध्याय की गहनता के लिए आवश्यक है कि पूर्व में कार्यरत समाज कल्याण विभाग के गठन व कार्यकरण के बारें में विश्लेषण किया जाए।

महिला तथा बाल विकास विभाग के गठन के पश्चात महिला एवं बाल कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों व परियोजनाओं को समाज कल्याण विभाग से लेकर इस नए विभाग को सौंप दिए गए। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समाज कल्याण विभाग अभी भी कार्यरत है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण का ध्येय उस समय की महिला व बाल विकास की गतिविधियों के प्रबन्धन से जुडे विभाग के अधिकारियों व कार्मिक वर्ग तथा क्रियाकलापों का वर्णन करना है।

समाज कल्याण विभाग

राजस्थान सरकार के अन्य विभागों की भांति महिला व बाल विकास हेतु समाज कल्याण विभाग भी सचिवालय स्तर पर कार्यरत था। सचिवालय स्तर पर इस विभाग के राजनैतिक कार्यपालिका अध्यक्ष एवं प्रशासकीय कार्यपालिका अध्यक्ष के पदों पर सृजन किया गया था।

राजनैतिक कार्यपालिका

राजनैतिक कार्यपालिका स्तर पर इस विभाग का अध्यक्ष मंत्री मण्डल स्तर का एक मंत्री होता था तथा उसके कार्य में सहयोग देने के लिए राज्य मंत्री अथवा उपमंत्री होता था।

1961 से 1964 तक समाज कल्याण मंत्री केबिनेट स्तर का मंत्री था जिसके अधीन शिक्षा, देवस्थान, सहायता एवं पुनर्वास विभाग भी थे। 1964-66 तक मंत्री मण्डलीय स्तर के मंत्री के ही अधीन यह विभाग था। जिसके पास जनजाति क्षेत्र एवं सामुदायिक विकास विभाग भी था। 1969-71 तक यह विभाग केबिनेट स्तर के ही अधीन था जिसके पास इस विभाग के स्वतंत्र प्रभार के अतिरिक्त गृह एवं जनसम्पर्क विभाग भी था। 1973 से 76 तक यह विभाग क्रमशः केबिनेट स्तर के मंत्री के पास रहा जिसके अधीन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, यातायात, शिक्षा विभाग के थे। उनके सहयोग के लिए एक राज्य मंत्री भी था। 1977-79 तक यह विभाग एक महिला राज्य मंत्री के अधीन रहा। जिसके पास पर्यटन एवं शिक्षा विभाग भी थे। 1980-81 तक यह विभाग एक महिला राज्य मंत्री के अधीन रहा जिसके पास इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास भी रहा। उसके बाद 1980-81 तक यह विभाग पुनः राज्य मंत्री के अधीन रहा जिसके पास जनजाति क्षेत्र विकास एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग भी थे। 1982 में यह विभाग पुनः केबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन हो गया। जिसके पास जनजाति विकास विभाग एवं आवासन विभाग भी थे। मंत्री को कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए एक उपमंत्री होता था जो विभाग के कार्य एवं गतिविधियों में समाज कल्याण मंत्री को सहायता एवं सहयोग प्रदान करता था। उपमंत्री समाज कल्याण विभाग अन्य विभाग जिनमें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ऊर्जा, विभाग एवं भूजल विभाग का भी कार्यभार था।

प्रशासकीय कार्यपालिका

प्रशासनिक स्तर पर विभाग का अध्यक्ष सचिव होता था। समाज कल्याण सचिव के अतिरिक्त सचिव जनजाति क्षेत्र विकास एवं क्षेत्रीय परियोजना, तकनीकी शिक्षा का भी कार्य सम्पन्न कर रहे थे।

शासन सचिवालय के कार्यप्रणाली नियम संख्या 21 से 22 के अनुसार मंत्री, उपमंत्री, शासन सचिव, समाज कल्याण एवं पदेन उप सचिव का कार्यभार निर्धारित था तथा समय समय पर जो स्थायी आदेश शासन कार्य संचालित करने के लिए जारी किए जाते थे उसके तदनुरूप अधिकारीगण कार्य करते थे। प्रशासनिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण, कार्यक्रम के या विधान के सम्बन्ध में आवश्यक विधायी कार्यवाही सम्पन्न करने का दायित्व मंत्री का ही था।

वर्तमान स्वरूप

केन्द्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना

केन्द्रीय स्तर पर बाल विकास कार्यक्रमों हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय उतरदायी है। इस मंत्रालय के अंतर्गत चार विभाग है, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, युवा कार्य व खेलकूद विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग। यह अध्ययन महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित है। अतः यहां मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग की संगठनात्मक संरचना का ही विवरण ही प्रस्तुत किया गया है। महिला एवं बालक हमारी जनसंख्या का एक वृहत अंश है और मानव संसाधन विकास का एक अति महत्वपूर्ण स्रोत है। महिला एवं बाल विकास का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बालकों की सुख एवं समृद्धि सुनिश्चित करना है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के परस्पर सम्बन्धित दोनों क्षेत्रों में जिनके लिए भारत सरकार का यह विभाग प्रमुख रूप से उतरदायी है। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों को बेहतर सेवायें प्रदान करने तथा उनके लिए उपलब्ध सेवाओं के संकेन्द्रण पर बल दिया गया है।

निदेशक बाल विकास संयुक्त सचिव एवं सचिव के कार्यो में सहायता एवं सलाह देने के लिए दो निदेशक बाल विकास एवं प्रशासनिक एवं पोषाहार शिक्षा होते है तथा एक सहायक निदेशक अनुसंधान होता है। जो बाल विकास तथा प्रशासनिक कार्यो में सहायता करते है निदेशक का कार्य अपने क्षेत्र में आने वाले कार्यो तथा क्रियाकलापों की जानकारी सचिव को देना है। यह बाल विकास तथा प्रशासन एवं

© 2026 गुन्जन गौतम, डॉ०. शैलेन्द्र मौर्य. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

पोषाहार शिक्षा से सम्बन्धित सभी कार्य देखता है। वह यह भी देखता है कि कार्य नीति के अंतर्गत किया जा रहा है या नहीं। सहायक निदेशक सांख्यिकी का प्रमुख कार्य आंकडों एवं तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करना तथा उनका रिकॉर्ड करना सहायक निदेशक सांख्यिकी का प्रमुख कार्य आंकडों एवं तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करना तथा उनका रिकार्ड रखना है। सचिव के मांगे जाने पर वह तथ्यों के आंकडों को प्रेषित करता है।

निदेशक बाल विकास के अधीन चार अनुभाग अधिकारी होते है जो निदेशक को बाल विकास तथा प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो में सहायता देते है। निदेशक प्रशासन एवं पोषाहार शिक्षा के अधीन भी चार अनुभाग अधिकारी होते है।

कार्य

1. **परिवार कल्याण** - महिला एवं बाल विकास का प्रमुख कार्य परिवार कल्याण से सम्बन्धित है। वैसे तो परिवार कल्याण का कार्य परिवार को छोटा रखने से जुड़ा है। यह अप्रत्यक्ष रूप से बालक को प्रभावित करता है। क्योंकि छोटे परिवार होने पर ही बालक का सम्पूर्ण विकास सम्भव है। इनकी क्रियान्विति हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यरत विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने का मुख्य उतरदायित्व इसी विभाग का है।
2. **महिला एवं बाल कल्याण से सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों एवं संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय** - इस विभाग का एक प्रमुख कार्य महिला एवं बाल कल्याण से सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों एवं संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय स्थापित करना है। जिस क्षेत्र में कोई अन्य संगठन कार्यरत है। वहां उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यो में यह विभाग समन्वय स्थापित करता है। विकास एवं पोषाहार विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, अतः इन विभागों में महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित कार्यो में समन्वय स्थापित करना इसका प्रमुख कार्य है।
3. **स्कूल पूर्व बालकों की देखभाल** - इस विभाग द्वारा एक प्रमुख कार्य किया जाता है। वह है स्कूल पूर्व बालकों की देखभाल। 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से खिलोने आदि उपलब्ध करवाना तथा उन्हे कक्षा में बैठाना। खेलने की प्रवृति का विकास करना इस विभाग का कार्य है।
4. **राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का समन्वय** - महिला एवं बालकों के स्वस्थ होने के लिए उन्हें अच्छा एवं उचित पौष्टिक आहार मिलना आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालक के पोषाहार का वितरण किया जाता है। जिसका उतरदायित्व इस विभाग पर होता है।
5. **केन्द्रीय समाज मण्डल एवं राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास के कार्यो को देखना** - इस विभाग द्वारा समाज कल्याण मण्डल एवं राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास विभाग के सभी कार्यो को देखा जाता है। यह दोनों ही संगठन बाल विकास के लिए कार्य करते है। अतः इनके कार्यो में सहयोग समन्वय तथा कार्यक्रमों में सलाह देना का कार्य भी किया जाता है। यह संगठन सरकार द्वारा पूर्णत वित पोषित है। यह दोनों संगठन इस विभाग के कार्यो में सहायता करते है।

राज्य स्तर पर संगठनात्मक संरचना:

समाज कल्याण विभाग, राजस्थान

राजस्थान में समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण हेतु प्रभावी नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन हेतु एक पृथक समाज कल्याण की स्थापना की गई। यह विभाग समाज के पिछडे वर्ग, आदिवासी क्षेत्रों के विकास तथा विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्यो के लिए उतरदायी है। इस विभाग के कार्यो को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, महिला एवं बाल विकास कार्य, आदिवासी विकास कार्य एवं समाज कल्याण कार्य।

समाज कल्याण विभाग का अध्यक्ष एक केबिनेट स्तर का मंत्री होता है। जो समाज कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अन्तिम रूप से उतरदायी है। इस राजनैतिक अध्यक्ष को प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक सहायता एवं सलाह देने के लिए समाज कल्याण सचिव उतरदायी है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। सचिवालय स्तर पर इस समाज कल्याण विभाग में सचिव के अतिरिक्त एक उपसचिव तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारी कार्यरत है। समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्यो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तीन पृथक कार्यकारी विभागों की स्थापना की गई। 1. समाज कल्याण विभाग, 2. महिला एवं बाल विकास विभाग 3. आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग। वर्ष 1994 में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के विस्तार को देखते हुए एक पृथक सचिव महिला एवं बाल विकास के पद की स्थापना की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग वर्तमान में इसी सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के कार्य करता है, निदेशक, महिला एवं बाल विकास पदेन, उपसचिव के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राजस्थान में महिला एवं बाल विकास

प्रदेश में महिलाओं एवं शिशुओं को शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने एवं उनकी विभिन्न समस्याओं के निवारण के साथ समाज में जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 1985 में स्वतंत्र रूप से महिला शिशु एवं पोषाहार विभाग का गठन किया गया। वर्ष 1989-90 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस विभाग का नाम परिवर्तित कर केन्द्र सरकार के अनुरूप ही महिला एवं बाल विकास विभाग रखा गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग के गठन के पूर्व भी सरकार द्वारा प्रदेश में महिला के विकास के लिए सक्रिय प्रयास किए जाते रहे है। समाज कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1951-52 में पिछडी जाति के लिए कल्याण विभाग के रूप में की गई। बाद में इन जातियों के कल्याण के अतिरिक्त समाज कल्याण प्रवृतियों को प्रारम्भ किए जाने के फलस्वरूप वर्ष 1956 से इस विभाग कोसमाज कल्याण विभाग कहा जाने लगा। यह विभाग अनुसूचित जातियाँ-जनजातियों, विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों, अन्य पिछडी जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गो के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु सतत प्रयत्नशील है। इस विभाग द्वारा महिला कल्याण की दिशा में भी सक्रिय प्रयास किए गए। राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना वर्ष 1954 में हुई। इस विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मातृत्व की सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।

© 2026 गुन्जन गौतम, डॉ०. शैलेन्द्र मौर्य. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 (भारत सरकार के 1990 के अधिनियम संख्या 20) के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप मे ंमहिलाओं के लिए संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा उपायों के पुनरीक्षण उपचार विधायी उपायों की संस्तुति, शिकायतों के निवारण की सुविधाजनक बनाने तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देने की उद्देश्य से की गई थी।2

आयोग के प्रमुख कार्य/उद्देश्य

1. महिलाओं के लिए संवैधानिक रक्षा के उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अन्वेषक, परिवीक्षा एवं सरकार को सिफारिश करना।
2. महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून में विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना तथा कमियों, अपर्याप्तता या त्रुटियों कोदूर करने के लिए सिफारिश करना।
3. कानूनी सुरक्षा के उपायों के उल्लंघन करने संबंधित मामलों को उचित अधिकारियों के समक्ष उठाना।
4. शिकायतों की जांच करना तथा महिलाओं के अधिकारो ंके वंचन पर स्वप्रेरणा से ध्यान देना।
5. महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और प्रगति का मूल्यांकन करना
6. सुधार गृहों, कारागारों तथा अन्य स्थानों जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में रखा जाता है, का निरीक्षण करना तथा पुनर्वास तथा विकास हेतु उनकी सिफारिश करना।

प्रमुख कार्य क्षेत्र

1. महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण
2. अल्पसंख्यक/मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण
3. महिलाओं पर सार्वभौमिकरण का प्रभाव
4. सैक्स टूरिज्म और , जिसमें देवदासी की समस्याएं भी शामिल हैं।
5. बाल विवाह विरोध अधिनियम
6. महिलाओं के लिए बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृति के मुद्दे की पीडितों, गैर सरकारी संगठनों तथा अधिकारियों के साथ पारम्परिक बैठकों के द्वारा उठाना, शिकायतों को सुनना, महिलाओं के कानूनी अधिकारों को प्रभावित करने वाले गंभीर की जांच करना।
7. विशेष वर्ग मुस्लिम महिलाएं, जनजाति महिलाएं और अनुसूचित जातियों की महिलाओं की समस्याएं
8. कारागारों रिमांड होम या संरक्षण गृहों के महिलाओं की समस्याएं
9. पारिवारिक न्यायालयों कासंस्थागत अध्ययन करना तथा सुधारात्मक सुझाव देना
10. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
11. सती प्रथा, डायन प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयाँ
12. दहेज समस्या
13. मीडिया में महिलाएं
14. कृषि में महिलाओं का तकनीकी सशक्तिकरण
15. कन्याभ्रूण तथा एवं शिशुहत्या की समस्या के विरूद्ध लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना।
16. महिलाओं का स्वास्थ्य
17. मद्य निषेध आंदोलन
18. स्वयं सहायता वर्गो के माध्यम से चुनौतियां ंका सामना करना
19. लिंग संवेदनशीलता
20. नेटवर्क का निर्माण एवं उसे उन्नत बनाना
21. विधवाओं की समस्याएं
22. विकलांग महिलाओं की समस्याएं

राजस्थान राज्य महिला आयोग

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रेल, 1999 को एक विधेयक राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत किया गया जिसमें भारत संविधान में प्रदÿा अधिकारों के अंतर्गत लिंगीय भेदभाव को समाप्त कर महिलाओं के हितों को संरक्षित एवं समुन्नत करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई, 1999 को किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 द्वारा राजस्थान में राज्य महिला आयोग का एक ऐसे निकाय के रूप में गठन किया गया जो बिना किसी दबाव के एवं जटिल प्रक्रियाओं से दूर रहकर निष्पक्ष रूप से महिलाओं पर होने वाले अन्याय के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें। साथ ही महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कार्य कर एवं कानून निर्माण के समय महिलाओं के पक्ष में पैरवी करें।

संदर्भ सूची

1. कटारिया एस. भारत में राज्य प्रशासन. जयपुर: मलिक एण्ड कम्पनी; 2001.
2. प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण 2012-13. जयपुर: महिला एवं बाल विकास विभाग; 2013.
3. प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण 2019-20. जयपुर: महिला एवं बाल विकास विभाग; 2020.
4. प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण 2021-22. जयपुर: महिला एवं बाल विकास विभाग; 2022.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

गुन्जन गौतम डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई, राजस्थान, भारत में शोधार्थी हैं। वे अपने विषय क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रही हैं तथा अकादमिक एवं शोध गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। उनकी रुचि समकालीन सामाजिक एवं शैक्षिक मुद्दों के अध्ययन तथा ज्ञान के प्रसार में विशेष रूप से है।

डॉ. शैलेन्द्र मौर्य राजनीति विज्ञान विषय के सहआचार्य हैं। वर्तमान में वे सामाजिक अध्ययन संकाय, डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई, राजस्थान, भारत में कार्यरत हैं। उनकी शैक्षणिक एवं शोध रुचियाँ राजनीति विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और समकालीन सामाजिक-राजनीतिक विषयों से संबंधित हैं। वे शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

© 2026 गुन्जन गौतम, डॉ०. शैलेन्द्र मौर्य. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/